

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/03

दिनांक: 10.09.2021

सेवा में,
श्री सुमित जयसवाल
चैम्बर संख्या -6,
हाई कोर्ट, इलाहाबाद
40A/32A/2A ताशकत मार्ग,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211 001
मो० 7007406488, 9651003737

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 13.08.2021 के संबंध में
महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 13.08.2021 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को दिनांक 16.08.2021 को प्राप्त हुआ। बिंदु क्रमांक 01 से 05 तक मांगी गयी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है एवं किसी लोक-क्रियाकलाप या जनहित से सम्बन्ध नहीं रखता। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा -8(1)(j) के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती। बिंदु क्रमांक 06 के सम्बन्ध में आपको बताना चाहेंगे कि कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर समय-समय पर कार्य की आवश्यकता को देखते हुए, कार्मिकों की उपयुक्तता, कार्मिकों की संख्या एवं अन्य कारणों पर निर्भर करता है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,


10.09.21

राणा प्रताप
महाप्रबंधक (पी०ई०एस०एम०)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड, लखनऊ